न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1760–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 8/अ–12/2013–14

.....

महिला पुनियाबाई बेवा श्री बल्लूराम ढीमर (कड़ा)
आयु 79 वर्ष निवासी मुहल्ला नारगुड़ा दरवाजा,
टीकमगढ़ तहसील थाना व जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 गोवर्धन सोनी तनय स्व0 किशोरीलाल सोनी
आयु 58 वर्ष निवासी मुहल्ला नारगुड़ा दरवाजा
टीकमगढ़ तहसील थाना व जिला टीकमगढ़
2 म0 प्र0 शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.10.2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 176–तीन/14 राजस्व मण्डल के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 8/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है, जो ग्राम अंनतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ के खसरा नंबर 264/1/2 के सीमांकन से संबंधित है। निगराकार के बताए अनुसार, यह सीमांकन बगैर उनको सूचना दिये एवं बगैर उनकी उपस्थिति के किया गया है, जबकि वे हितबद्ध पक्षकार हैं, और इस सीमांकन के फलस्वरूप उनकी भूमि प्रभावित हुई है । गैर निगराकार के बताए अनुसार विषयांकित भूमि का सीमाकंन पहले वर्ष 1999 में तहसीलदार, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 6/अ–12/98–99 में पारित आदेश दिनांक 4–1–99 से हुआ था । तदुपरान्त वर्ष 2008 में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा उनके प्रकरण कमांक 81/निग0/06–07 में आदेश दिनांक 30–6–08 द्वारा, तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में सरहदी कृषकों को सुनवाई के अवसर के साथ कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । इसी विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण रिट पिटीशन कमांक 761/2014 में पारित आदेश दिनांक 19–6–14 के माध्यम से तहसीलदार को यह निर्देश दिया गया था कि 31–12–2014 तक में वे अपने राजस्व प्रकरण कमांक 36ए12/11–12 में सीमांकन की कार्यवाही गुणदोष के आधार पर पूर्ण करें ।

2/ प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा समक्ष तर्क किए गए एवं प्रतिपक्ष अभिभाषक द्वारा लिखित बहस भी दी गई । मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेखों का बारीकी से परिशीलन किया गया एवं प्रकरण के समस्त तर्कों एवं सुसंगत बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

3/ इस सबके प्रकाश में मैं यह प्रकरण मैं तहसीलदार, टीकमगढ़ को निम्न निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ :

(1) समस्त हितबद्ध पक्षकारों के खातों की भूमियों के स्पष्ट विवरण एवं उनके रकबे स्पष्ट करें । अर्थात गोवर्धन (गैर निगराकार एवं सीमाकंन हेतु आवेदक) की भूमि का स्पष्ट विवरण एवं रकबा, तथा समस्त सरहदी कृषकों की भूमियों के विवरण एवं रकबे स्पष्ट करें । ऐसा करते हुए यदि खसरा नंबर 264/1/2 के मूल कुल रकबे में से विभिन्न पक्षकारों को अन्तरण समयकाल में हुए हैं, तो उनका पूर्ण विवरण भी इकजाई किया जाना चाहिएं एवं यह देखा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में गोवर्धन की भूमि, इस सब के परिणामस्वरूप एवं अंततोगत्वा, कौनसी एवं कितनी है, उसकी भूमि के सरहदी सर्वे/बटे नम्बर कौन–कौन से हैं, उनके भूमिस्वामी कौन–कौन हैं तथा उनके रकबे कितने हैं ।

(2) इन सबके संबंध में राजस्व अभिलेख एवं नक्शें पर भी पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए ।

(3) उपरोक्त 1 एवं 2 की कार्यवाही के परिणाम सुनिश्चित करने के उपरान्त, तहसीलदार आवेदक की भूमि का स्थल पर सीमांकन समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए ऐसे सुनिश्चित करें कि विषयान्तर्गत किसी भी हितबद्ध पक्षकार/सरहदी कृषक का वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो ।

(4) यदि उपरोक्त 1 एवं 2 की कार्यवाही में पूर्ण स्पष्टता हेतु मूल सर्वे नंबर 264 के बटांकन का इतिहास ट्रेस करना हो, तो उसे भी आवश्यकतानुसार किया जाए ।

(5) समस्त कार्यवाही इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण की जाए ।

पक्षकार सूचित हो ।

प्रकरण दा0 दर्ज हो ।

अभिलेख वापस हों ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर